यीशू असीर सिंह और अन्य

बनाम

राज्य जरिये पुलिस निरिक्षक

20 अगस्त, 2007

(डॉ अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे.जे.)

भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 96 से 106, 302, 309 और 341

हमला और हत्या- प्रतिरक्षा का अधिकार और अभियुक्त ए1, ए2, और ए3 ने कथित तौर पर अपनी मां के उकसावे पर मृतक पर हमला किया। अभियुक्त ए4 मृतक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया ट्रायल कोर्ट ने सभी अभियुक्तगण को धारा 302 व 341 आई. पी. सी के तहत अपराध करने का दोषी पाया और अभियुक्त ए4 को इनके अलावा धारा 309 आई पी सी का अपराध करने के लिए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त ए1, ए2 और ए3 की सजा को बरकरार रखते हुए अभियुक्त ए4 को बरी करने का निर्देश दिया। अपील में यह अभिनिर्णित किया गया कि चोटों की संख्या हमेशा यह निर्धारित करने के लिए एक सुरक्षित मानदण्ड नहीं है कि हमलावर कौन

था। घटना के समय/झगड़े के दौरान अभियुक्त को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना एक महत्वपूर्ण परिस्थिति हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा चोटों का केवल गैर स्पष्टीकरण अभियोजन के मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है, जब अभियुक्त को लगी चोटें मामूली हों और सबूत स्पष्ट और ठोस हों- प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती है । यह पता लगाने के लिए कि ऐसा अधिकार उपलब्ध है या नहीं, संपूर्ण घटना की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और इसे उचित व्यवस्था में देखा जाना चाहिए। प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए अभियुक्त को इसका अस्तित्व दिखाना होगा। परिस्थितियां गंभीर उपहति या मृत्यु कारित करने की आंशका के लिए उचित आधार उत्पन्न करती है- अधिकार तब तक रहता है जब तक शरीर को खतरे की उचित आशंका बनी रहती है- केवल इसलिए कि आरोपी व्यक्तियों को चोटें लगी हैं, यह वर्तमान मामले में मृत्यु कारित करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है- अभियुक्तगण द्वारा कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं किया गया कि वे अपने जीवन व संपत्ति की सुरक्षा को लेकर घोर आशंका में थे कि मृतक की मृत्यु कारित करने तक का प्रतिषोध बिल्कुल आवश्यक था इसलिए अपील योग्यता के आधार पर खारिज कर दी गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक व अभियुक्त व्यक्तियों के परिवार के बीच दुश्मनी थी, क्योंकि मृतक की पत्नी अपने पति व बच्चे को छोड़कर अभियुक्त ए1 के साथ रहने लगी थी। मृतक व उसका बच्चा मुखबीर पी.डबल्यू 1 के साथ रह रहे थे। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, अभियुक्तगण ए1 से ए3 ने अपनी मां ए4 के कहने पर मृतक पर जानलेवा हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। पीडब्ल्यू 1 ने शोर मचाया, सभी अभियुक्त अपने हाथो में अपराधों के हथियारों के साथ भागने में सफल रहे। मुखबिर मृतक को सरकारी अस्पताल ले गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसकी शिकायत उसने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मृतक के खून से सने कपडे बरामद कर लिए है। मृतक ने सरकारी मुख्यालय अस्पताल में कंज्यूवलिटी मेडिकल ऑफिसर के सामने कहा कि उसे तीन ज्ञात व्यक्तियों के हाथों चोटें लगी हैं। उसी दिन ए1 भी चिकित्सा अधिकारी के सामने पेश हुआ और कहा कि उसे भी एक ज्ञात व्यक्ति के हाथों चोटें लगी हैं। जांच पूरी होने के बाद अभियुक्तगण के खिलाफ आरोप तय किए गए। ट्रायल कोर्ट ने पी डबल्यू 1 के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए सभी चार अभियुक्तगण को दोषी पाया और ए1 से ए3 को धारा 302 व 341 आईपीसी के अपराध करने के लिए दोषी पाया और ए4 को धारा 302/34 आईपीसी का अपराध कारित करने के लिए और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्तगण द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की

गई थी। उच्च न्याययालय ने प्रतिरक्षा के अधिकार को खारिज करते हुए अभियुक्तगण ए1, ए2 व ए3 की सजा को बरकरार रखा लेकिन सहअभियुक्त ए4 को बरी करने का निर्देश दिया, इसलिए दोषियों द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

अभियुक्त अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का संस्करण अविश्वसनीय है। घटना स्थल पर पीडब्लू 1 की उपस्थिति अत्यधिक संदिग्ध है कि जब ए4 के संबंध में साक्ष्य को खारिज कर दिया गया तो ए1 से ए3 वर्तमान अपीलकर्ताओं के खिलाफ दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती थी और यह कि प्रतिरक्षा के अधिकार के पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा ठीक से विचार नहीं किया गया है।

न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्णित किया गया कि

1.1 हमलावर कौन था, यह निर्धारित करने के लिए चोटों की संख्या हमेशा एक सुरक्षित मानदंड नहीं होती है। यह एक सार्वभौमिक नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि जब भी चोटें अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर होती है तो यह अनुमान अवश्य लगाया जाना चाहिए कि अभियुक्तगण व्यक्तियों ने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए चोटे पहुंचाई है। बचाव पक्ष को यह भी स्थापित करना होगा कि अभियुक्त को

लगी चोटें प्रतिरक्षा के अधिकार की संस्करण की संभावनाओं को दर्शाती है। घटना के समय या झगड़े के दौरान अभियुक्त को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न दिया जाना एक बहुत हीं महत्वपूर्ण परिस्थिति है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा केवल चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना सभी मामलों में अभियोजन मामलें को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत उन मामलों पर लागू होता है जहां अभियुक्त को लगी चोटें मामूली और सतहीं है या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस, इतना स्वतंत्र और उदासीन, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय है कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की चूक के प्रभाव से कई अधिक है। (पैरा 8) (97-एचः 98-ए-सी)

लक्ष्मी सिंह बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1976) एससी 2263 पर भरोसा किया गया।

1.2 प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती है। इस बात पर विचार करते समय कि क्या किसी आरोपी को प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है। यह प्रासंगिक नहीं है कि क्या उसके पास हमलावर को गंभीर और घातक चोट पहुंचाने का मौका हो सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी आरोपी को प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, पूरी घटना की सावधानी पूर्वक की जांच की जानी चाहिए और उचित व्यवस्था में देखा जाना चाहिए। (पैरा 8) (98-सी -डी)

1.3 स्वैच्छिक मृत्यु कारित करने तक विस्तारित प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए अभियुक्त को यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियां थी जो इस आशंका के लिए उचित आधार प्रदान करती थी कि या तो उसे मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाई जाएगी। अभियुक्त को यह साबित करने का भार है कि उसे प्रतिरक्षा का अधिकार था जो मृत्यु कारित करने तक विस्तारित था। (पैरा 8) (98-एफ)

1.4 प्रतिरक्षा का अधिकार तभी प्रारम्भ हो जाता है जैसे हीं शरीर के लिए खतरे की आशंका किसी पन्यास या अपराध की धमकी से उत्पन्न होती है, भले हीं अपराध न किया गया हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक उचित आशंका न हो। अधिकार तब तक कायम रहता है जब तक शरीर को खतरे की उचित आशंका बनी रहती है। (पैरा 9) (98-जी-एचः 99-ए)

जयदेव बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1963) एससी 612: रिजान और अन्य बनाम छतीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव, सरकार के माध्यम से, छतीसगढ के रायपुर, छतीसगढ (2003) 2 एससीसी 661 और सुच्चा सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, (2003) 7 एससीसी 643 पर निर्भर।

1.5 केवल इसलिए कि झगडा हुआ था और कुछ अभियुक्तगण व्यक्तियों को चोटें आई थी। यह इस मामले में मृत्यु कारित करने की हद तक प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान नहीं करता है, हालांकि इस तरह के

अधिकार को सुनहरे तराजू में नहीं तोला जा सकता है, लेकिन यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्तगण अपने जीवन और सम्पति की सुरक्षा के बारे में इतनी गंभीर आशंका में थे कि जिस हद तक प्रतिशोध लिया गया वह बिल्कुल आवश्यक था इस संबंध में कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया। प्रतिरक्षा का अधिकार, जैसा कि अभियुक्त व्यक्तियां द्वारा दावा किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा सहीं रूप से खारिज किया गया। (पैरा 11) (99 सी-डी)

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1090, 2007

मद्रास उच्च न्यायालय, बेंच मदुरई की आपराधिक अपील संख्या 525/1997 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 14-02-2006 से उत्पन्न।

अपीलार्थी की ओर से वी. जे. फ्रेन्सिस, ए. राधाकृष्णा और अनुपम मिश्रा।

प्रत्यर्थी की ओर से आर. सुन्द्रवर्धन, जोसेफ एरिसटोटल, एस. प्रभु रामा सुब्रमण्यम और वी.जी. प्रागसम ।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया-

1. अनुमति प्रदान की गई ।

2. अपीलकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले की वैधता पर सवाल उठाया है जिसमें सहअभियुक्तों को बरी करने का निर्देश देते हुए अपीलकर्ताओं की सजा को बरकरार रखा गया है। सुविधा के लिए अपीलकर्ताओं और सहअभियुक्तों को ए1, ए2, ए3 और ए4 के रूप में वर्णित किया गया है। अपीलकर्ता ए1, ए2 व ए3 है। और उन्हें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 आईपीसी की धारा 302 और 341 के तहत दण्डनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। ए4 पर धारा 109 व 341 आईपीसी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 आईपीसी के तहत दण्डनीय अपराध के लिए आरोप लगाया गया था। 341 आईपीसी अपीलकर्ताओं में से प्रत्येक को उपरोक्त दो अपराधों के लिए क्रमशः आजीवन कारावास और एक महींने की सजा सुनाई गई थी।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष का विवरण इस प्रकार से सामने आया -

यह घटना 18.09.1993 को सुबह लगभग 6.30 बजे घटित हुई, ए1 से ए4 के द्वारा जिन्होंने उपहार (जिसे बाद में मृतक के रूप में संदर्भित किया गया है) को गलत तरीके से रोक दिया और उसी लेन-देन के दौरान ए4 के उकसाने पर ए1 से ए3 ने उस पर जानलेवा हमला किया जिससे

उसकी मौत हो गई। अपने मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 से पीडब्लू 15 को परीक्षित करवाया। इसके अलावा प्रदर्श पी 1 से प्रदर्श पी 30 और एमओएस 1 से 10 को चिन्हित करवाया। ए4, ए1 से ए3 की मां है। पीडब्लू 1 मुखबिर है। पीडब्लू 4, पीडब्लू 1 की मां है। पीडब्लू 4 और ए4 बहनें है। पीडब्लू 5 ए1 की पत्नी है। पीडब्लू 5 की बहन जेनिथा है जो मृतक की पत्नी थी। दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी और बातचीत भी नहीं होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मृतक की पत्नी जेनिथा अपने पति को छोड़कर ए1 के साथ रहने लगी थी।

मृतक ने घटना से लगभग डेढ साल पहले जेनिथा से शादी की थी और जिससे उन्हें एक लड़की पैदा हुई थी। दोनों परिवारों में घटना के एक माह पूर्व से बातचीत करना छोड़ दिया था।

इसके बाद मृतक और उसका बच्चा केवल पीडब्लू 1 के साथ रह रहे थे। 10.09.1993 को मृतक ए1 के घर गया और अपनी पत्नी को अपने साथ वापस आने के लिए कहा और वहां झगडा हो गया। लगभग शाम 5.00 बजे उस दिन सभी चार अभियुक्त पीडब्लू 1 के घर आए और उससे मृतक का पता पूछा। और उसे यह भी बताया कि उनकी अनुपस्थिति में मृतक ने अपनी पत्नी को बुलाया था। और इसलिए उसे तौर-तरीकों को सुधारना होगा। इतना कहते हुए, उन्होनें ट्यूबलाईट, खाट और अन्य घरेलू सामान को नुकसान पहुंचाया। कोई शिकायत नहीं दी गई। राजा उसका बेटा

है और जो बीमार पड़ गया था और उसे 17.09.1993 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अस्पताल में उसके बगल के बिस्तर के बगल में पीडब्लू 1,4 और मृतक थे। सुबह करीब 6.30 बजे 18.09.1993 को पीडब्लू 1 और मृतक अस्पताल में काफी लेने के लिए घर आए थे। पीडब्लू 2 के घर के पास जब वे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहे थे, अभियुक्त विपरीत दिशा से आया। ए1 से ए3 घातक हथियारों से लैस थे, उन्हें देखकर मृतक डर के मारे में साईकिल छोड़कर पीडब्लू 2 के घर के पास एक गली से भागने लगा। यह देखकर की ए4 ने मौखिक रूप् से घोषित कर दिया कि वह भाग रहा है, उसे भागने नहीं देना चाहिए और मार देना चाहिए। उसका भाई यानि मृतक उसके बाद पीडब्लू 2 के घर से गुजरा और उस स्तर पर उसे ए1 से ए3 ने रोक दिया था। ए1 ने उसके सिर पर दो बार प्रहार किया और जब उसके भाई ने अपनी भुजाएं फैलाकर रोकने का प्रयास किया। ए2 का वार उसके दाहिने हाथ पर पडा, इसके बाद ए3 ने उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर अंधाधुंध प्रहार किए और जैसे हीं वे प्रहार कर रहे थे, ए2 द्वारा लक्षित हमलों में से एक हमला ए1 की बायीं कलाई पर पडा और ए3 द्वारा लक्षित हमला ए1 के दाहिने हाथ पर पड़ा। वह चिल्लाई और पीडब्लू 2 दौड़कर आई, उस समय सभी अभियुक्त अपने हाथों में अपराध के हथियारों के साथ भागने में सफल रहे। वह अपने भाई को अस्पताल ले जाने के लिए कुछ पैसे लेने के लिए घर गई, जहाँ उसने देखा कि उसका घर क्षतिग्रस्त पड़ा था। दरवाजें, खिड़कियां और

अन्य चीजें टूटी पड़ी थीः उसके भाई के दो दोस्त हारून, सिंह वहां आए और उनकी मदद से वह अपने भाई को सरकारी अस्पताल कोठार ले गई, जहाँं उसे मृत घोषित कर दिया गया। पीडब्ल्यू 12 ने उसका परिक्षण किया और जो कुछ उसने कहा, उसे लिख दिया। उसने इसे पढ़ा और उस शिकायत पर हस्ताक्षर किए, जो कि प्रदर्शपी 01 है। मृतक के व्यक्तिगत परिधान खून से सने हुए थे और उन्हें बरामद कर लिया गया। पीडब्ल्यू 02 ने घटना देखी थी।

पीडब्ल्यू 10 सरकारी मुख्यालय अस्पताल नागर कोईल में कोजेलिटी मेडिकल आफिसर है जिसके सामने 18.09.1993 को सुबह 8.00 बजे मृतक को तीन ज्ञात व्यक्तियों के हाथों लगी चोटों के कारण उसे लाया गया था। उस पर उसने विभिन्न लक्षण पाए, जिसमें से 22 चोटें थी और प्रदर्शपी 12 दुर्घटना रजिस्टर जारी किया। उन्होंने पुलिस को प्रदर्शपी 13 सूचना भेजी और प्रदर्शपी 14 मृत्यु की सूचना है। उनके मुताबिक, चोट नंबर 3 को छोड़कर बाकी सभी चोटें अरूवल जैसे हथियार के कारण हो सकती थीं। सुबह 7.45 बजे ए1 सुबह 6.30 बजे एक ज्ञात व्यक्ति के हाथों काटने वाले चाकू से लगी चोटों के लिए उनके सामने उपस्थित हुए। उन्होंनें दो चोटें पाई और प्रदर्शपी 15 दुर्घटना रजिस्टर जारी किया। प्रदर्शपी 13 ए1 के इलाज के संबंध में उनके द्वारा पुलिस को भेजी गई सूचना है।

पीडब्ल्यू 12 हैड कांस्टेबल था, जिसे सरकारी मुख्यालय अस्पताल से मृतक की मौत की सूचना मिली थी। पीडब्ल्यू 14 जांच अधिकारी था, पीडब्ल्यू 09 चिकित्सा अधिकारी है, जिसने पोस्टमार्टम किया और मृतक के शरीर पर 22 चोटें देखीं। जांच पूरी होने के बाद आरोप तय किये गये, अभियुक्त ने खुद को निर्दोष और झूठा फंसाने की दलील द। चूंकि अभियुक्त व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया, इसलिए मुकदमा चलाया गया। अभियोजन प्क्ष के बयान को आगे बढ़ाने के लिए 15 गवाहों से पूछताछ की गई।

4. ट्रायल कोर्ट ने पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य पर भरोसा किया और सभी चार व्यक्तियों को दोषी पाया। अपीलकर्ताओं द्वारा यह विचार करते हुए अपील की गई कि पीडब्ल्यू 1 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था। अपीलकर्ताओं ने यह रूख अपनाया कि मृतक हमलावर था, जिसने ए1 पर हमला किया था, जिसे दो चोटें आई। किसी घटना में अभियुक्त व्यक्ति ने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया था, इसलिए कोई अपराध घटीत नहीं हुआ। यह तर्क देने के लिए प्रदर्शपी 20 के साक्ष्य पर भरोसा किया गया था कि ए1 द्वारा दर्ज की गई सूचना की ठीक से जांच नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू 1के साक्ष्यों का विष्लेषण किया और माना कि प्रदर्शपी 20 के संबंध में जांच ठीक से की गई थी और अभियोजन संस्करण प्रभावित नहीं हुआ, भले हीं यह माना जाए कि

प्रदर्शपी 20 के आधार पर जांच करने में कुछ चूक हुई थी। प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील का भी वर्णन किया गया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि सबूत ए4 को दोषी ठहराने के लिए प्र्याप्त नहीं थे।

5. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने सुझाव पेश किया कि अभियोजन पक्ष का संस्करण अविष्वसनीय है। पीडब्लयू 1 की उपस्थित अत्यधिक संदिग्ध है, जब ए4 के संबंध में साक्ष्य को खारिज कर दिया गया है तो वर्तमान अपीलकर्ताओं के लिए दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती है। किसी भी स्थिति में उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार के पहलु पर ठीक से विचार नहीं किया गया है।

6. राज्य के विद्वान वकील ने आदेश का समर्थन किया।

7. हम पहले प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंहधित याचिका से निपटेंगे।

8. चोटों की सक्ष्या निर्धारित करने के लिए हमेशा एक सुरक्षित मानदंड नहीं होता है कि हमलावर कौन था, इसे सार्वभौमिक नियम के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि चूंकि जब भी चोटे अभियुक्त व्यक्तियों के शरीर पर है, इसलिए यह धारणा अवश्य बनाई जानी चाहिए कि अभियुक्त व्यक्तियों ने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए चोटें पहुचाई है। बचाव पक्ष को यह भी स्थापित करना होगा कि अभियुक्त को लगी चोटें प्रतिरक्षा के अधिकार के संस्करण की संभावना बनाती है। घटना के समय

या झगड़े के दौरान अभियुक्त को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न होना एक बहुत हीं महत्वपूर्ण परिस्थिति है, लेकिन अभियोजन पक्ष द्वारा केवल चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देना सभी मामलों में अभियोजन मामले को प्रभावित नहीं कर सकता है। यह सिद्धांत उन मामलों पर लागू होता है जहां अभियुक्त को लगी चोटें मामूल और सतहीं है या जहां साक्ष्य इतना स्पष्ट और ठोस, इतना स्वतंत्र और उदासीन, इतना संभावित, सुसंगत और विश्वसनीय है कि यह चोटों की व्याख्या करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से चूक के प्रभाव से कहीं अधिक है। (लक्ष्मीसिंह बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1976) एससी 2263) निजी बचाव के अधिकार की दलील अनुमानों ओर अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती। इस बात पर विचार करते समय कि क्या किसी अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, यह प्रासंगिक नहीं है कि क्या उसके पास हमलावर को गंभीर और घातक चोट पहुचाने का मौका हो सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, पूरी घटना की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उचित व्यवस्था में देखा जाना चाहिए। धारा 97 प्रतिरक्षा के अधिकार की विषय वस्तु से संबंधित है। प्रतिरक्षा के अधिकार की दलील में अधिकार प्रयोग करने वाले व्यक्ति का षरीर या संपत्ति शामिल हैः या किसी अन्य व्यक्ति का और अधिकार का प्रयोग शरीर के खिलाफ किसी भी अपराध के मामले में किया जा सकता है, और चोरी, डकैती, रिष्टी या आपराधिक अतिचार के अपराध और

संपत्ति के संबंध में ऐसे अपराधों के प्रयास में किया जा सकता है। धारा 99 प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं निर्धारित करती है। धारा 96 और 98 कुछ अपराधों और कृत्यों के विरूद्ध निजी बचाव का अधिकार देती है। धारा 96 से 98 और 100 से 106 के तहत दिया गया अधिकार धारा 98 द्वारा नियंतिंत होती है। मृत्यु कारित करने के स्वैच्छिक कारण तक विस्तारित प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा करने के लिए अभियुक्त यह दिखाना होगा कि ऐसी परिस्थितियों थी जो मौत की आशंका के लिए उचित आधार पैदा कर रहीं थी या उसे गंभीर चोट पहुॅचाई जाएगी, अभियुक्त पर यह दिखाने का भार है कि उेस प्रतिरक्षा का अधिकार था जो मृत्यु कारित करने का कारण बनने तक विसतारित था। आईपीसी की धारा 100 और 101 प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा और विस्तार को परिभाषित करती है।

9. आईपीसी की धारा 102 और 105 क्रमशः शरीर और संपत्ति की निजी सुरक्षा के अधिकार की षुरूआत और निरंतरता से संबंधित है। अधिकार तब शुरू होता है जब अपराध करने के प्रयास या धमकी से शरीर को खतरे की उचित आशंका उत्पन्न होती है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि उचित आशंका न हो। यह अधिकार तब तक कायम रहता है जब तक शरीर को खतरे की उचित आशंका बनी रहती है। जयदेव बनाम पंजाब राज्य, एआईआर (1963) एससी 612 में, यह देखा गया कि जैसे हीं उचित आशंका का कारण बायब हो जाता है और खतरा या तो नष्ट हो जाता है

या समाप्त हो जाता है, तब प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग का अवसर नहीं होता है।

10. उपरोक्त स्थितियां निम्न मामलों में दर्शायी गई थी- रिजान व अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य जरीये मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर, छत्तीसगढ़, [2003] 2 SCC 661 और सुचा सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य [2003] 7 SCC 643.

11. केवल इसलिए कि झगड़ा हुआ था और कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को चोटें आई थीं, यह इस मामले की तरह मौत की हद तक प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि इस तरह के अधिकार को सुनहरे तराजू में नहीं तोला जा सकता है, लेकिन यह स्थापित करना होगा कि अभियुक्त व्यक्ति अपने जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के बारे में इतनी गंभीर आशंका में थे कि जिस हद तक प्रतिशोध लिया गया वह बिल्कुल आवश्यक था। इस संबंध में कोई ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं किया गया। निजी बचाव का अधिकार, जैसा कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा दावा किया गया है, को सहीं ढंग से खारिज कर दिया गया है।

12. भले हीं उच्च न्यायालय ने सबूतों को ए4 को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं पाया, कितु यह किसी भी तरह से वर्तमान अपीलकर्ता के संबंध में पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करता

है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्ल्यू 1 को कोई सुझाव नहीं दिया गया था कि ए1 ने प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्य किया था, इस संबंध में काई सामग्री भी नहीं लायी गई है, पीडब्लयू 1 से जिरह के दौरान कुछ सवाल पूछे गए। वे इस प्रकार है-

"मैं यह सीधे तौर पर नहीं देखता कि अभियुक्त ने घटना से पहले गिफट पर हमला किया था या झगड़ा किया था।

अभियुक्त ने मुझे नोटिस नहीं दिया, जब अभियुक्त ने भाई का पीछा किया तब मै चिल्लाया नहीं, जब अभियुक्तगणों ने मुझ पर हमला किया तो मै चिल्लाया भाई।

प्रथम अभियुक्त ने मेरे भाई के सिर पर दो बार हमला किया, मै नहीं कह सकता कि दो बार उसके सिर पर कहां लगी। दूसरे अभियुक्त ने मेरे भाई के दाहिने हाथ और सिर के बीच में हमला किया। यह कहना सहीं नहीं है कि मैंने पुलिस की पूछताछ में गवाहीं नहीं दी थी। तीसरे अभियुक्त ने उसकी पीठ, नाक, हाथ और पैर पर हमला किया था। कितने वार किये, यह नहीं बता सकता। घटना को करीब 15 मिनट हुए थे।

यह कहना सहीं नहीं है कि मेरे भाई को जब चोटें लगी, अभियुक्त 2, 3 और 4 वहां मौजूद नहीं थे। यह कहना सहीं नहीं है कि यह घटना अल्बर्ट नयागम की गली के पास नहीं हुई हो।

अस्पताल ले जाने के बाद हीं मेरे भाई की मृत्यु हुई थी, यह सहीं है कि पुलिस स्टेशन अस्पताल जाने वाले रास्ते पर स्थित है।

13. जिरह में पूछे गए सवाल काफी हद तक अभियोजन पक्ष के संस्करण को संभावित बनाते है। हालांकि जिरह मे पूछे गए सवाल हमेशा किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने में निर्णायक नहीं होते हैं, फिर भी वे निश्चित रूप् से प्रासंगिक है।

14. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर अपील निराधार है और खारिज की जाती है।

S.K.S.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय कुमार बाकोलिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण हीं प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण हीं मान्य होगा।